



# हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़-245101. ☎ 0122-2308764-65

वेबसाइट: www.hpdaonline.in मेल: hpda\_1@rediffmail.com

पत्रांक 784 / अधी0अभि0 / एच0पी0डी0ए0 / 2024

दिनांक: 27/2/2024

## ई-निविदा आमंत्रण सूचना

उपाध्यक्ष हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की ओर से हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों (विशिष्ट श्रेणी छोड़कर) से सपटित नियम व शर्तों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु टू-बिड सिस्टम पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है-


क्र० सं०	कार्य का नाम	अनु. धनराशि (रु. लाख में)	निविदा मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)	कार्याविधि	पंजीकरण श्रेणी	ई-निविदा डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि	ई-निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि तथा समय	ई-निविदा खोले जाने की तिथि तथा समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	आनन्द विहार आवासीय योजना में सीवर लाइन के छः माह तक संचालन व अनुरक्षण कार्य।	24.44	1180.00	122500.00	6 माह	(सी) सिविल	28.02.2024	06.03.2024 02:00 PM	06.03.2024 04:00 PM
2	प्रीत विहार आवासीय योजना के प्रथम व विस्तार में अध्यासित ब्लॉक-ई.डी. व आई.एच में जलापूर्ति हेतु 6 माह के अनुरक्षण का कार्य।	11.96	1180.00	60000.00	6 माह	(सी) सिविल	28.02.2024	06.03.2024 02:00 PM	06.03.2024 04:00 PM
3	आनन्द विहार आवासीय योजना में जलापूर्ति लाइनों के छः माह तक संचालन व अनुरक्षण का कार्य।	11.28	1180.00	56500.00	6 माह	(सी) सिविल	28.02.2024	06.03.2024 02:00 PM	06.03.2024 04:00 PM
4	प्राधिकरण कार्यालय प्रयोग हेतु वाहनों को किराये/अनुबन्ध पर आपूर्ति का कार्य	-	1180.00	100000.00	12 माह	-	28.02.2024	06.03.2024 02:00 PM	06.03.2024 04:00 PM

### नियम व शर्तें:-

- निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि केवल RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा प्रपत्र में उल्लेखित बैंक खाते में जमा करायी जायेगी।
- निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदायें अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
- निविदा प्रपत्र एवं सम्बन्धित नियम व शर्तें वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन/परिवर्धन विषयक सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- क्रमांक 01 से 03 तक अंकित समस्त कार्यों की प्रीक्वलाफिकेशन के लिए निविदा में सभी आवश्यक प्रपत्र Portal पर upload करने होंगे।
- प्रदूषण के नियंत्रण हेतु एन.जी.टी. की गाईड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- श्रम विभाग, हापुड़ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा एवं उक्त के साथ-साथ कार्य के दौरान यदि किसी श्रमिक की कार्य स्थल पर मृत्यु होती है, या गंभीर क्षति पहुंचती है, तो

उस स्थिति में सन्निर्माण कर्मकार अपने अधीन नियोजित श्रमिक को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. ठेकेदार को श्रमिकों के नियमानुसार ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. के प्राविधानों एवं सुरक्षा उपायों का अनुपालन करना होगा। जिसके लिए ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. में यदि लागू हो तो पंजीकृत होना आवश्यक है।
8. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।


  
अधीक्षक अभियन्ता  
हापुड़-पिलखुवा विकास  
प्राधिकरण  
हापुड़

पृष्ठांकन  
प्रतिलिपि

/अधी0अभि0/एच0पी0डी0ए0/2024

दिनांक:

1. सचिव/वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) एवं अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/उद्यान) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्तागण को निविदा प्रपत्र साँफट कॉपी में नियत तिथि से 02 दिन पूर्व अवर अभियन्ता-तकनीकी को उपलब्ध कराने हेतु।
4. सम्बन्धित को नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
अधीक्षक अभियन्ता